छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

विपणन संघ

880, सिविल-लाईन्स, मुख्यालय-रायपुर (छ०ग०)
दूरभाष नंबर : 0771-2445611 फैक्स नंबर : 2426396

खरीफ विपणन वर्ष 2012-13 में समर्थन मूल्य में धान उपार्जन हेतु बारदाना रेक हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित्

880, सिविल लाईन्स, मुख्यालय रायपुर (छ.ग.) 492001

बारदाना गठान रैक हैण्डलिग एवं जिले के अंदर/बाहर परिवहन हेतु निविदा प्रपत्र की विषय सूची

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक से पृष्ठ क्रमांक तक
01	निविदाकार संबंधी जानकारी	2
02	उद्‌बोधन	3
03	निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनाये परिशिष्ठ –1	4 से 10
04	निविदाकर्त्ता का परिचय एवं विवरण भाग (क) तकनीकी लिफाफा हेतु परिशिष्ठ –2	11 से 12
05	बारदाना गठान रेक अनलोडिंग एवं परिवहन हेतु निविदा दर भाग (ख) वित्तीय लिफाफा हेतु परिशिष्ठ –3	13 से 14
06	KMS 2012–13 में जिलेवार रेक प्वाईटवार सूची परिशिष्ठ –4	15
07	निविदाकर्त्ता से इकरारनामा का प्रारूप परिशिष्ठ –5	16 से 19

कार्यालय छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

880, सिविल–लाईन्स, मुख्यालय–रायपुर (छ0ग0)

बारदाना गठान रैक हैण्डलिग एवं जिले के अंदर/बाहर बारदाना परिवहन हेतु निविदा दरे

खरीफ विपणन वर्ष 2012–13

1.	निविदाकर्ता का नाम व पता	श्री/सुश्री..... पिता/पति का नाम.....
2.	निविदाकर्ता के प्रतिष्ठान का नाम एवं पूर्ण पता	....
3.	जिला का नाम	.....
4.	जिले में स्थित रेक प्वाइंट/ संग्रहण केन्द्र का नाम जिसके लिए निविदा भरी जा रही है	....
5.	निविदा फार्म का मूल्य	रूपये **3000.00**/– (वाणिज्यिक कर सहित) **(अक्षरी तीन हजार रूपये मात्र)**
6.	निविदा फार्म नगद क्रय की जानकारी	मनी रसीद नंबर .....दिनांक.....
7.	निविदा जमा करने का अंतिम दिनांक दिनांक एवं समय	..... को अपरान्ह .....बजे तक।
8.	निविदा को खोले जाने का दिनांक, समय एवं स्थान	दिनांक .....अपरान्ह .....बजे। स्थान – .....

टिप्पणी

1. यदि निविदा खोलने के लिए निर्धारित दिनांक को अवकाश घोषित किया जाता है तो अवकाश के बाद अगले कार्य दिवस को निविदा खोली जायेगी, लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये समय एवं स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. यह निविदा फार्म अहस्तांतरणीय है एवं दो प्रतियों में जारी किया जा रहा है। प्रथम प्रति निविदाकार टेंडर बॉक्स में डालेगा एवं द्वितीय प्रति निविदाकार द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु रखा जावेगा।
3. **प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा पप्रत्र में पृष्ठ कमांक 1 से 19 तक है।**
4. **निविदा प्रपत्र विपणन संघ की वेबसाईट www.cgmarkfed.in पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जा सकता है। इस हेतु निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क का डी.डी. जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के नाम से देय होगा। निविदा फार्म के टेक्नीकल बीड के साथ जमा करना अनिवार्य होगा यदि टेक्नीकल बीड के साथ डी.डी. जमा नही किया जाता तो निविदा निरस्त मानी जायेगी।**

निविदा फार्म जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम एवं पदमुद्रा

जारीकर्ता कार्यालय.....
जारी दिनांक .....

उद्‌बोधन

प्रिय निविदाकार,

छ.ग. राज्य में शासन के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य में कृषको से धान खरीदी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में धान उपार्जन हेतु जिले के अंदर व जिले के बाहर बारदाना परिवहन एवं रेक हेण्डलिग कार्य के लिए परिवहनकर्ताओं की नियुक्ति हेतु खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

1. इस निविदा दस्तावेज में निम्नानुसार परिशिष्ठ संलग्न है:–
   - (I) परिशिष्ट '1' निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनाएं है।
   - (II) परिशिष्ट '2' निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण (भाग–क) तकनीकी लिफाफा हेतु।
   - (III) परिशिष्ट '3' बारदाना गठान रैक अनलोडिंग एवं जिले के अंदर/बाहर बारदाना परिवहन हेतु निविदा दरे (भाग–ख) वित्तीय लिफाफा हेतु।
   - (IV) परिशिष्ट '4' बारदाना रेक हैण्डलिंग हेतु जिलेवार रेक प्वाईट की सूची।
   - (V) परिशिष्ट '5' निविदा कार द्वारा किये जाने वाले इकरारनामा का प्रारूप।

निविदाकार से अनुरोध है, कि इन दस्तावेजो को भली–भांति पढने और समझने के बाद ही अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें परिवहन कार्य हेतु निविदा फार्म में निर्धारित परिशिष्ट 3 मे साफ–साफ अको एवं शब्दों में अंकित कर वित्तीय लिफाफा में प्रस्तुत करें।

2. निविदाकार सें यह भी अनुरोध है कि निविदा फार्म के नियत स्थान पर सील सहित हस्ताक्षर करें। निविदा सूचना के प्रकाशन अनुसार भरे हुए निविदा फार्म संबंधित रेंक प्वाईट के जिला कार्यालय में निर्धारित तारीख को निर्धारित समय तक स्वीकार किये जायेगे। प्राप्त निविदाये उसी दिन निर्धारित समय पर उपस्थित निविदाकार के समक्ष खोली जायेगी। निविदायें खोलने के समय निविदाकार स्वयं या उसका प्रतिनिधि उपस्थित हो सकेगा। किसी भी दशा में डाक द्वारा प्रेषित निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
3. इस उद्‌बोधन सहित, निविदा आमंत्रण, निविदा निर्देश व मार्ग दर्शक सूचनाये, संविदा को शासित करने वाले नियम व शर्ते, निविदा दस्तावेज एवं उनमें संलग्न सभी पृष्ठ एवं परिशिष्ट आदि इस परिवहन संविदा के अभिन्न अंग है और निविदाकार इनसे आबद्व रहने के लिए बाध्य होगा।
4. निविदा में दरें अधिक प्राप्त होने पर निविदा के मात्र वैध प्रथम न्यूनतम निविदाकारों से निविदा दरों पर निगोशियेशन किया जा सकेगा। यदि उपरोक्त कार्यवाही के बाद भी निविदा में युक्तिसंगत दरें प्राप्त नही हुई, तो विपणन संघ अपनी ओर से वैध निविदाकारों को क्रास ऑफर देकर दरें स्वीकृत कर सकता हैं।
5. निविदाकर्ता निविदा के साथ ही वांछित दस्तावेज (परिशिष्ट–1 के अनुसार) अनिवार्य रूप से संलग्न करें। उक्त दस्तावेज संलग्न नही होने पर निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।
6. निविदाकार को इस निविदा के साथ संलग्न :– निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण को पूर्ण रूपेण एवं फोटो संलग्न करते हुए भरा जाना अनिवार्य है। कृपया इसका विशेष ध्यान रखे। प्रत्येक विवरण अपेक्षित विवरण के साथ पूर्ण भरा जाना है।
7. नेट से निविदा निकालकर प्रस्तुत करने की स्थिति में अनुबंध के समय के एक नये निविदा फार्म में सील सहित हस्ताक्षर कर परिवहनकर्ता द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

उक्तानुसार आपसे अनुरोध है कि संबंधित परिशिष्ट एवं दस्तावेजों का भली भांति अध्ययन कर विपणन संघ के वृहद् जनउपयोगी और व्यवसायिक कार्यो में सहभागिता के दृष्टिकोण से अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें (कार्य योग्य दरे) प्रस्तुत करे।

शुभकामनाओं सहित,

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
रायपुर

परिशिष्ट– 1

निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनायें

निविदाकार, जिनके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के संबंधित जिला कार्यालय का बारदाना परिवहन, रैक अनलोडिंग एवं एच.एंड.टी. एवं जिले के अंदर/बाहर कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही निम्नानुसार नियमों एवं शर्तों का भली–भांति अध्ययन कर लेवें। यह दिशा निर्देश तथा शर्तें निविदा स्वीकृति की स्थिति में निष्पादित की जाने वाली संविदा के भाग/अंग माने जावेंगे:–

1. विपणन संघ के कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये निर्धारित प्रारूप में ही दो सीलबंद लिफाफों में जिसमें एक तकनीकी लिफाफा (निविदा दस्तावेज के भाग "क")एवं दूसरा वित्तीय लिफाफा (निविदा दस्तावेज के भाग "ख")अलग–अलग होगा तथा तकनीकी लिफाफा एवं वित्तीय लिफाफा को एक बड़े लिफाफा में बंद कर निविदा प्रस्तुत करना होगा :–

1.1 जिस जिले के रेक प्वाइंट एवं संग्रहण केन्द्र/गोदाम हेतु निविदा भरी जा रही है, उसी जिले से निविदा प्रपत्र क्रय कर उसी जिले में ही जमा कराया जाना आवश्यक होगा। एक जिले से क्रय निविदा प्रपत्र पर दूसरे जिले हेतु निविदा नहीं भरी जा सकेगी।

1.2 निविदाकर्ता निविदा के साथ अनिवार्य रूप से निम्नानुसार दस्तावेज तकनीकी लिफाफा में संलग्न करें :–

1. निर्धारित अमानत राशि का छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, छ0ग0 को देय डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर प्रस्तुत करें।
2. निविदाकार के पास स्वयं के कम से कम पांच ट्रकों के रजिस्ट्रेशन एवं फिटनेस संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. भागीदार फर्म होने की स्थिति में भागीदार विलेख की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि। रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी द्वारा जारी जीवित पंजीयन प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदाकार यदि कम्पनी है तो उसके पार्षद सीमा नियम पार्षद अन्तर नियमों की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं निगमन का प्रमाण–पत्र। फर्म/कंपनी की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र अथवा मुख्तयारनामा नोटरी द्वारा सत्यापित।
5. **शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में विगत दो वर्षो का परिवहन कार्य का अनुभव प्रमाण–पत्र।**
6. **परिवहन कार्य में नियोजित श्रमिकों का पी.एफ. कोड नं. एवं गतवर्ष जमा कराये गये पी.एफ. का प्रमाण–पत्र।**
7. आयकर स्थायी लेखा संख्या प्रपत्र एवं विगत तीन वर्षों की आयकर विवरण की सत्यप्रतिलिपि।
8. **बैंक स्टेटमेंट 01 अप्रैल 2011 से 31 जुलाई 2012 तक का।**
9. निविदाकार द्वारा हस्ताक्षरित इकरारनामा।

1.3 निविदाकार को निविदा फार्म भरने के पूर्व संबंधित रेक प्वाइंट में रेक अनलोडिंग करने तथा जिले के अंदर एवं जिले के बाहर निर्देशित स्थान तक परिवहन के लिए आवागमन स्थान तथा स्थानीय परिस्थितियों के संबंध में भली–भांति अवलोकन कर आश्वस्त हो लेना चाहिये, बाद में इस आधार पर स्वीकृति दर में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। निविदाकारों से अपेक्षित है कि निविदा भरने के पूर्व उपरोक्त जानकारी का भी भली–भांति अध्ययन कर लें।

1.4 निविदाकार से अपेक्षित है कि, वह संबंधित मार्ग का भी अध्ययन कर लें। यदि किसी कारणवश नियमित/प्रचलित मार्ग बंद रहता है तो परिवर्तित मार्ग से परिवहन किये जाने पर कोई अतिरिक्त चार्ज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

1.5 निविदाकार स्वयं यह सत्यापित एवं सुनिश्चित करेगा कि उसने निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकार का इकरारनामा एवं अन्य समस्त दस्तावेज प्राप्त कर लिया है। आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर लेने का पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकार का है।

1.6 संग्रहण केन्द्र/जिला कार्यालय पर अपना सम्पर्क कार्यालय और कार्यरत प्रतिनिधि रखना होगा, जिसका नाम, पता हस्ताक्षरित तथा प्रमाणित हस्ताक्षर एवं छायाचित्र अनुबंध के साथ संबंधित/जिला कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। निविदाकर्ता द्वारा नियोजित प्रत्येक श्रमिक/कर्मचारी को भुगतान करने की जिम्मेदारी उसके स्वयं की होगी तथा उसके भविष्यनिधि उपादान आदि के भुगतान का दायित्व भी निविदाकर्ता का होगा।

1.7 निविदाकार द्वारा प्रस्तुत तकनीकी लिफाफा सही पाये जाने पर ही वित्तीय लिफाफा खोला जायेगा।

1.8 निविदा के प्रस्तुत अभिलेख पर निविदाकर्ता को हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

2. निविदा फार्म भरने के दिशा निर्देश :–

2.1 निविदाकार निविदा फार्म निरंतर एवं विधिवत पूर्ण रूप से भरकर प्रस्तुत करेगा तथा उसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा। निविदा फार्म सेट (2 पुस्तिका का सेट) मूल्य **3000**/– रूपये (वाणिज्य कर सहित) होगा। जो संबंधित कार्यालय में नगद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।

2.2 **दरे** :–निविदा फार्म में रेल्वे द्वारा निर्धारित समयावधि में रैक अनलोडिंग कर जिले के अंदर एवं जिले के बाहर निर्देशित स्थान तक परिवहन की दरें अंको में तथा शब्दों में सुवाच्य, स्पष्ट एवं साफ–साफ लिखा जाना चाहिए। निविदा फार्म में ओव्हर रायटिंग अथवा काट–छांट न करें। निर्धारित प्रारूप की कंडिका निविदा कार्य से संबंधित न हो उस पर क्रास का चिन्ह लगाया जावें।

2.3 निविदा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक एवं समय निविदा फार्म में अंकित है। निविदा खोलते समय निविदाकर्ता अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है।

2.4 एक से अधिक जिला कार्यालय की निविदा संबंधित जिलों में भरी जा सकती है, परन्तु इस हेतु ट्रक नंबर की पुनरावृत्ति (रिपिटेशन) मान्य नहीं किया जावेगा एक ही ट्रक नंबर को एक से अधिक जिले के लिए निविदा प्रस्तुत करने पर प्रस्तुत निविदा स्वयमेव निरस्त मानी जाएगी एवं न्यूनतम दर वाले किसी एक जिले को छोड़कर शेष जिले में जमा अमानत राशि विपणन संघ द्वारा जब्त कर ली जावेगी।

2.5 पृथक–पृथक जिले हेतु संबंधित जिले से निविदा फार्म प्राप्त कर उसी जिले में प्रस्तुत करना होगा।

3. अमानत राशि :–

3.1 संबंधित जिलों के लिए अमानत राशि निम्नानुसार है:–

क्र.	जिले का नाम	अमानत राशि (लाख रूपये में)
1	रायपुर	10.00
2	बलौदाबाजार	5.00
3	महासमुंद	10.00
4	दुर्ग	10.00
5	बालोद	10.00
6	राजनांदगांव	10.00
7	बिलासपुर	10.00
8	जांजगीर	10.00
9	रायगढ़	5.00
10	अम्बिकपुर	5.00
11	जगदलपुर	5.00

उपरोक्त राशि का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक अनुसूचित बैंक का संबंधित जिला कार्यालय के निविदा के साथ दर्शायी राशि के अनुसार संलग्न करना अनिवार्य है।

3.2 निविदा की कण्डिका (1.2) के अनुसार दस्तावेज नही प्रस्तुत करने पर निविदा अमान्य माना जावेगा।

3.3 यदि निविदाकार निविदा प्रस्तुत करने के बाद बारदाना गठान एच.एंड.टी.एवं जिले के अंदर/बाहर परिवहन कार्य करने से असमर्थ रहता है, मना करता है या अपना प्रस्ताव से बाहर जाता है या उसकी शर्तों तथा नियमों में संशोधन करता है तो अमानत राशि स्वमेव जप्त हो जावेगी।

3.4 निविदाकार द्वारा निविदा स्वीकृति होने के पश्चात् वांछित मूल अभिलेख एवं निर्धारित सुरक्षानिधि जमा करने में असफल होने की स्थिति में अमानत राशि विपणन संघ के हित में जप्त हो जावेगी। ऐसी जप्ती की सूचना विपणन संघ को पृथक से निविदाकार को देना आवष्यक नहीं होगा।

3.5 असफल निविदाकार की जमा अमानत राशि अथवा डिमांड ड्राफ्ट निर्धारित समिति के द्वारा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण होने पर वापस कर दी जावेगी। इस अवधि का कोई भी ब्याज विपणन संघ द्वारा देय नहीं होगा।

3.6 सफल निविदाकार द्वारा निविदा के साथ जमा अमानत राशि उसके द्वारा संबंधित इकाई से अनुबंध न करने के फलस्वरूप जप्त होती है तो ऐसे निविदाकार विपणन संघ की किसी भी इकाई के निविदा में 3 वर्ष के लिए भाग नहीं ले सकेगें।

3.7 पूर्व वर्षो में काली सूची में दर्ज एवं विपणन संघ के बकायादार परिवहनकर्ता निविदा में भाग नहीं ले सकेगें, किन्तु बकायादार परिवहनकर्ता द्वारा विपणन संघ की बकाया राशि मय ब्याज में जमा करने के पष्चात् निविदा में भाग ले सकेगे।

4. निविदा फार्म पर हस्ताक्षर :–

4.1 निविदा फार्म पर हस्ताक्षर कर रहा/कर रहे व्यक्तियों के लिए यह प्रमाणित करना अनिवार्य है कि वे किस हैसियत से निविदा फार्म पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। फर्म के भागीदार फर्म होने की स्थिति में निविदा फार्म में समस्त भागीदारों के नाम का उल्लेख किया जाना है एवं निविदा पर समस्त भागीदारों द्वारा हस्ताक्षर किये जावेगें अथवा सभी भागीदारों द्वारा संबंधित भागीदार के पक्ष में जारी अधिकार पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि निविदाकार एक कम्पनी है तो उसके संचालक मंडल द्वारा पारित संकल्प की सत्यप्रतिलिपि के साथ हस्ताक्षर करने वाले संचालक के पक्ष में अधिकार पत्र जिस हैसियत से निविदाकार निविदा में हस्ताक्षर कर रहा हो उसका प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवष्यक होगा।

5. निविदा निष्पादित करना :–

5.1 **सुरक्षा निधी** :– सफल निविदाकार को संबंधित जिले के लिये निम्नानुसार सुरक्षा निधि देनी होगी। सुरक्षनिधि किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/एफ.डी.आर. के रूप में दिनांक **30.09.2013** तक कवैधता अवधि के लिए प्रस्तुत करनी होगी :–

क्र.	जिले का नाम	सुरक्षा निधी (लाख रूपये में)
1	रायपुर	10.00
2	बलौदाबाजार	5.00
3	महासमुंद	10.00
4	दुर्ग	10.00
5	बालोद	10.00
6	राजनांदगांव	10.00
7	बिलासपुर	10.00
8	जांजगीर	10.00
9	रायगढ़	10.00
10	अम्बिकपुर	5.00
11	जगदलपुर	5.00

5.2 विपणन संघ के इकाई द्वारा जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जावेगी उसे विपणन संघ की ओर से सूचना मिलने पर अधिकतम एक सप्ताह की अवधि में निर्धारित सुरक्षा निधी की राशि जमा कर विपणन संघ द्वारा निर्धारित संविदा **100.00 रूपये (एक सौ रूपये)** के नॉन ज्यूडिशियल स्टेम्प पर वांछित कागजात के साथ विपणन संघ के जिला कार्यालय में इकरारनामा निष्पादित करना आवष्यक होगा। इसका निर्धारित प्रारूप संबंधित जिला कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

अ. फर्म/कंपनी के पंजीयन फर्म की सत्यप्रतिलिपि।

ब. आयकर रिर्टन जमा करने की सत्यप्रतिलिपि।

स. फर्म/कंपनी संरचना विलेख।

द. रैक अनलोडिंग एवं परिवहनकर्ता द्वारा निर्धारित कार्य के लिए नियोजित/प्राधिकृत श्रमिकों/कर्मचारियों के नाम एवं पते की सूची जिला विपणन अधिकारी को सौंपेगा।

6 विविध :–

6.1 निविदाकार द्वारा प्रस्तुत निविदा दरों में व्यवहारिक स्लेब (वर्केबल लीड) यथा 0–8 किमी,0–25 किमी, 0–50 किमी, 0–75 किमी, तथा 0–100 में अधिकतम लीड में न्यूनतम दर को आधार मानकर एल–1 निर्धारित किया जावेगा। एल–1 निविदाकार को निविदा में अन्य दूरियों हेतु निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर पर कार्य करने की सहमति देनी होगी ।

6.2 विपणन संघ द्वारा स्वीकृत निविदाकार के साथ अनुबंध रहते हुये भी प्रबंध संचालक विपणन संघ को यह अधिकार होगा कि उक्त दरों पर एल–2 वाले निविदाकार से कुल कार्य का 30 प्रतिशत कार्य कराया जा सकता है, उसमें अनुबंधित निविदाकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं यदि स्वीकृत निविदाकार का कार्य संतोषप्रद नहीं रहता है तो विपणन संघ एल–2 निविदाकार से 100 प्रतिशत कार्य कराने हेतु स्वतंत्र होगा। ऐसी स्थिति में स्वीकृत निविदाकार की जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगीं।

6.3 किसी भी निविदा को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार निर्धारित समिति/प्रबंध संचालक, छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को होगा।

6.4 निविदाकार को निविदा में कोई शर्त सम्मिलित नहीं करनी है, क्योंकि सशर्त निविदा विचार योग्य नहीं होगा। एक बार निविदा खोलने के पश्चात् निविदाकार के द्वारा दर संबंधी प्रस्तुत की जाने वाली किसी भी आवेदन पर विचार मान्य नहीं होगा।

6.5 निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का यह अभिप्राय माना जावेगा कि निविदाकार ने निविदा की सभी शर्तों एवं कार्य पद्धति कार्य की महत्ता आदि समझ ली है और उन्हें स्वीकार कर लिया है।

6.6 निविदाकार द्वारा बारदाना रैक हैण्डलिंग एवं परिवहन हेतु दरें, लोडिंग/अनलोडिंग शामिल कर प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त दरों में सभी प्रकार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर शामिल होगें। आयकर एवं अन्य करों की स्त्रोत पर कटौती प्रचलित नियमानुसार की जाएगी। यदि सफल निविदाकार द्वारा किसी भी प्रकार के करों अथवा अन्य वैधानिक उत्तरदायित्वों के भुगतान में अथवा पालन में लापरवाही बरती जाती है तो विपणन संघ को अधिकार होगा कि..ऐसे सभी उत्तरदायित्वों के पेटे भुगतान योग्य राशि की वसूली उसके द्वारा जमा अमानत राशि से की जावेगी।

6.7 भारत सरकार, राज्य शासन एवं स्थानीय निकाय द्वारा समय–समय पर लगाये गये सभी वैधानिक एवं प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष कर निविदाकार द्वारा देय होगा जिसकी कटौती देयकों से की जावेगी ।

6.8 निविदाकार द्वारा परिवहन दर में लोडिंग/अनलोडिंग दर सम्मलित करते हुए ही दर दी जाए एवं समग्र दर पर ही विचार किया जाएगा, पृथक से लोडिंग/अनलोडिंग दर का उल्लेख अवश्य किया जाए, उक्त कार्य में शासन द्वारा निर्धारित सर्विस टैक्स की कटौती विपणन संघ द्वारा निविदाकार से की जावेगी।

6.9 निविदाकार द्वारा पूर्व में जमा की गयी अमानत राशि अथवा किसी प्रकार की राशि वर्तमान निविदा के लिए मान्य नहीं होगी तथा जमा की गई अमानत राशि एवं सुरक्षानिधि पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जावेगा।

6.12 इकरारनामा निष्पादित करते समय सफल निविदाकर्ता को सुरक्षानिधि के रूप में निर्धारित राशि निर्धारित तिथी के लिए निर्धारित प्रारूप में बैंक गारंटी अथवा एफ.डी.आर. संबंधित जिले के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा, जिस पर विपणन संघ द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।

6.13 सफल निविदाकार को संबंधित इकाई से लिखित, मौखिक, दूरभाष पर सूचना प्राप्त होने के पश्चात् बताये गये कार्य को समय सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा। रैक के मामलों में अनुबंधित एच.एण्ड.टी परिवहनकर्ता निर्धारित रेल शीर्षो (रैक प्वाइंट) में बारदाना गठान अनलोड करने तथा रेल्वे साईडिंग खाली करने कार्य रेल्वे के निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के लिए उत्तरदायी होगा। एच.एण्ड.टी परिवहनकर्ता का यह भी दायित्व होगा कि वह रेल्वे से सम्पर्क कर रेल्वे क्लीरेंस प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा। किसी प्रकार के डेमरेज/बारफेज की जवाबदारी संबंधित एच.एण्ड.टी परिवहनकर्ता की होगी।

6.14 सफल निविदाकार को अनुबंध के अनुसार संबंधित परिवहन इत्यादि कार्य के देयक प्रत्येक सप्ताह में संबंधित जिला विपणन अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

6.15 परिवहनकर्ता के पास स्वयं का कम से कम पांच ट्रक होना अनिवार्य है। इससे अधिक स्वयं की ट्रकों की जानकारी भी निविदा में दें। इसके अतिरिक्त जो ट्रकें उक्त कार्य हेतु संबद्ध की गई है उनकी सूची इकाई प्रमुख अथवा जिला विपणन अधिकारी जिसके क्षेत्र में कार्य किया जाना है उसे लिखित में अनुबंध के समय प्रस्तुत करना होगा तथा उन्हीं ट्रकों से परिवहन कार्य कराया जावेगा।

7 संविदा की अवधि

7.1 जिस परिवहनकर्ता की निविदा स्वीकृत की जाती है, उसे स्वीकृत दरों पर वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिये परिवहन करने के लिये अनुबंध करना होगा।

7.2 निविदा 01 अक्टूबर 2012 से 30.09.2013 तक वैध रहेगी। निष्पादित किये गये निर्धारित अनुबंध की अवधि समाप्त हो जाने के पष्चात् यदि विपणन संघ चाहे तो उसी स्वीकृत दर पर कार्य कराने हेतु तीन माह के खण्ड में अधिकतम एक वर्ष तक के लिये वृद्वि की जा सकेगी। इसे मानने के लिये परिवहनकर्ता बाध्य होगा।

7.3 संविदा की अवधि में कोई निश्चित कार्य देने की गारंटी विपणन संघ की नहीं रहेगी।

8 कार्मिक एवं वैधानिक उत्तरदायित्व :–

8.1 बारदाना गठान उतराई छल्ली लगाने के लिए क्रमशः उतराई करने वाले, तौलाई करने वाले एवं छल्ली लगाने वाले श्रमिकों/कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता का होगा।

8.2 यह आवश्यक होगा कि अनुबंध करने के पूर्व सफल निविदाकार अथवा उनके द्वारा नियुक्त श्रमिक ठेकेदार की उपरोक्त सभी अधिनियमों के अधीन अनुज्ञप्ति पत्र लेकर संबंधित जिला कार्यालय में देना होगा, कार्य समाप्त होने पर सफल निविदाकार को संबंधित जिले में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत नो–ड्यूस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उसके उपरान्त ही अमानत राशि का भुगतान हो पायेगा। यदि कार्य समाप्ति के पूर्व सफल निविदाकार द्वारा उपरोक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अमानत राशि की बैंक गारंटी/ एफ.डी.आर. राजसात की जायेगी।

8.3 उक्त समस्त श्रम अधिनियमों के अधीन एच.एण्ड.टी. परिवहनकर्ता समस्त आवश्यक अभिलेख संधारित करेगा एवं आवश्यक प्रपत्र/विवरण संबंधित अधिकारियों को समय पर प्रस्तुत करेगा और प्रस्तुत न करने के परिणामस्वरूप उद्भूत हुए समस्त दायित्वों के लिए एच.एण्ड.टी. परिवहनकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा।

8.4 उक्त समस्त श्रम अधिनियमों के अधीन एच.एण्ड.टी. परिवहनकर्ता का दायित्व होगा, कि वह उसके द्वारा नियोजित समस्त श्रमिकों/कर्मचारियों के लिए नियमानुसार आवश्यक समस्त सुविधाएं हित लाभ एवं व्यवस्था उपलब्ध करावें। इस संबंध में विपणन संघ कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

8.5 परिवहनकर्ता उसके द्वारा नियोजित समस्त श्रमिकों/कर्मचारियों के नाम, पता एवं फोटो विपणन संघ के जिला विपणन अधिकारी को अनुबंध के साथ कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्रस्तुत करें। यदि उसमें कोई परिवर्तन होता है, तो वह तत्काल जिला विपणन अधिकारी को सूचित करेगा एवं उनके द्वारा किये गये कार्य एवं व्यवहार के लिए वह उत्तरदायी माना जावेगा।

8.6 एच.एण्ड.टी. परिवहन कार्य के दौरान घटित किसी दुर्घटना का उत्तरदायित्व स्वयं निविदाकर्ता का होगा। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 अथवा कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम 1952 के अधीन समस्त राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायित्व एच.एण्ड.टी.परिवहनकर्ता पर होगा।

8.7 यदि एच.एण्ड.टी. परिवहनकर्ता अथवा उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारी अथवा ठेकेदार द्वारा किये गये किसी कृत्य की कोई जवाबदारी अथवा कोई भार विपणन संघ को वहन करना पड़ता है तो उस राशि को एच.एण्ड.टी. परिवहनकर्ता की जमा प्रतिभूति राशि में से अथवा उसके बिलों में से वसूल किया जायेगा।

8.8 अमानत राशि की बैंक गारंटी की अवधि एक वर्ष की होगी।

8.9 परिवहन के दौरान आने वाले नाकों, पुलों आदि पर टोल टैक्स व अन्य शुल्क प्रभार तथा समय–समय पर अधिरोपित जो भी देय हो, एच.एण्ड.टी. परिवहनकर्ता को स्वयं वहन करना होगा, विपणन संघ द्वारा उनका कोई भुगतान नहीं किया जायेगा, आशय यह है कि स्वीकृत दर से अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान देय नहीं होगा।

9. विवादों का निराकरण –

9.1 इस निविदा से संबंधित तथा अनुबंध से संबंधित किसी भी विषय, शर्त एवं किसी भी शर्त की व्याख्या आदि से संबंधित, इस अनुबंध के पूर्व इस अनुबंध एवं निविदा के पालन में समय अथवा उसके पष्चात् उत्पन्न हुए किसी भी विवाद को किसी पक्ष द्वारा एक मात्र आर्बीट्रेटर को उस विवाद के निराकरण के लिये संदर्भित किया जावेगा। यह आर्बीट्रेटर प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकरी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय रायपुर अथवा उनके द्वारा मनोनित व्यक्ति होगें और उनके द्वारा दिया गया निर्णय/एवार्ड दोनों पक्षों को बंधनकारी एवं मान्य होगा।

9.2 आर्बीट्रेशन द्वारा विवादों को निपटाने के लिये की गई कार्यवाही, आर्बीट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 (नं. 26 ऑफ 1996) के अंतर्गत होगी और ऐसे समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र रापयुर न्यायालय होगा।

10. व्यवहार एवं आचरण –

परिवहनकर्ता एवं उसके द्वारा नियोजित समस्त कर्मचारी/श्रमिक विपणन संघ के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से सौहार्द्रपूर्ण तरीके से सामजस्य स्थापित विवके रखते हुए परिवहन कार्यो के सुचारू संपादन में भी आवष्यक सहयोग प्रदान करेगें। परिवहनकर्ता की अथवा उसके कर्मचारियों की अथवा उसके कर्मचारियों /अधिकारियों की विपणन संघ के अधिकारियों/कर्मचारियों से झगडालु दबाव की मनोवृत्ति/प्रवृत्ति अथवा अभद्र असोभनीय व्यवहार प्रदर्शित होने पर विपणन संघ के जिला प्रबंधक/संबंधित अधिकारी की रिपार्ट पर विपणन संघ के प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वे उसके अनुबंध को तत्काल समाप्त कर दे एवं उसके इस प्रकार की कृत्यों के लिये आगामी निविदाओं में उस कार्य विशेष के लिये किसी भी हैसित से भाग से वंछित कर दे एवं अन्य क्षतिपूर्ति का निर्धारण कर वसूली निर्धारित करे।

निविदाकार के हस्ताक्षर

परिशिष्ठ–2

भाग – "क"

(तकनीकी लिफाफा हेतु)

निविदाकर्ता का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण

प्रति,

जिला विपणन अधिकारी,
.....छ.ग.

महोदय,

1. हमारा/मेरा अन्य विवरण निम्नानुसार है :–

1. निविदाकार का पूरा नाम व पता .....
.....
.....

2. दूरभाष क्रमांक कार्यालय निवास .....
.....

3. निविदाकार की फर्म का स्वरूप .....
(फर्म / कंपनी / स्वामित्व / हिन्दू अविभाजित परिवार)

4. मुखिया (कर्ता) का नाम व पता .....
.....

5. यदि भागीदारी फर्म है तो समस्त भागीदारों .....
के नाम / पते (भागीदारी विलेख की प्रमाणित .....
प्रति संलग्न करें)

6. फर्म की स्थापना, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक .....
(सत्य प्रतिलिपि संलग्न करें)

7. क. आयकर विवरणी की सत्यप्रति संलग्न करें .....
ख. आयकर स्थाई लेखा संख्या(पेनकार्ड) ..... (प्रतिलिपि भी संलग्न करें)

8. बैंकर का नाम शाखा सहित .....
(खाता क्रमांक लिखे)

9. स्वयं / फर्म / कंपनी के नाम कितने भारी .....
माल वाहन
(पंजीयन एवं फिटनेस की सत्यप्रतिलिपि वाहन का पंजीयन क्रमांक.....
संलग्न करें)

10. **शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में** .....
विगत दो वर्षो का परिवहन कार्य का अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करे।

11. वर्तमान में किस शासकीय / अर्द्धशासकीय / अन्य.....
संस्था में परिवहन कार्य कर रहें, विवरण दें .....

12. निर्धारित जमा की गई अमानत राशि .....
का विवरण
रूपये कुल.....
बैंक ड्राफ्ट नंबर.....
बैंक का नाम.....

14. इस वित्तीय वर्ष के लिए विपणन संघ की अगर किसी अन्य निविदा में भाग लिया हो तो उसका विवरण .....
15. पूर्व वर्षों में अगर विपणन संघ का कोई कार्य किया गया हो तो उसका विवरण .....
16. **परिवहन कार्य में नियोजित श्रमिकों का पी.एफ. कोड नं. ..... एवं गतवर्ष जमा कराये गये पी.एफ. काप्रमाण–पत्र संलग्न करें।**
17. मेरी/हमारी गत वर्ष में अमानत/प्रतिभूति राशि विपणन संघ के परिवहन निविदा अंतर्गत राजसात की गई है (हां तो विवरण दें) .....
18. **बैंक स्टेटमेंट (1.04.2011 से 31.07.2012 तक)**
19. संलग्न हस्ताक्षरित इकरारनामा
20. इस दस्तावेज के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची
    1. .....
    2. .....
    3. .....
    4. .....

2. हमारी/मेरी निविदा फार्म में उल्लेखित की गई निविदा परिशिष्ट दो की कंडिका 6.9 में वर्णित स्थिति अनुसार वैध रहेगी, जिसे मानने के लिए हम/मैं बाध्य रहेगें/रहूँगा/रहूँगी।
3. यदि विपणन संघ द्वारा हमें/मुझे बारदाना गठान का रैक अनलोडिंग एव परिवहन कार्य सौंपा जाता है तो हम/मैं निर्धारित अवधि में नियमानुसार प्रतिभूति राशि एवं बैंक गारंटी जमा करके अनुबंध करने के लिये सहमत हैं/हूँ।
4. हम/मैं इसके द्वारा घोषित करते हैं/करता हूँ कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियां मेरे विश्वास एवं ज्ञान में सही है।

दिनांक .....

स्थान .....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

फर्म का नाम .....

पूरा पता .....

हैसियत .....

मुहर .....

नोट :– इसमें अपेक्षित विवरण स्पष्ट रूप से भरे एवं संपूर्ण कॉलम में प्रविष्टि अतिआवश्यक है, अन्यथा अपेक्षित विवरण के अभाव में निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ठ– 3

भाग–"ख"

(वित्तीय लिफाफा हेतु)

सरल कमांक.....

बारदाना गठान रैक हैण्डलिग एवं जिले के अंदर/बाहर बारदाना परिवहन हेतु निविदा दरे

1. कार्यालय का नाम जिसके लिए निविदा दिया जा रहा है :– .....
2. रैक प्वाइंट/इकाई का नाम जिसके लिये निविदा भरी जा रही है :– .....
3. परिवहनकर्ता का नाम, पूरा पता ..... ई–मेल, दूरभाष नंबर .....
4. अर्नेस्टमनी रूपये का विवरण
   राशि .....
   ड्राफ्ट नंबर.....
   दिनांक .....
   बैंक का नाम.....
5. उपरोक्त एच.एण्ड.टी. परिवहन टेंडर के संदर्भ में मेरे/हमारे द्वारा परिवहन हेतु निम्नानुसार दरें दी जाती हैं। दरें रैक प्वाइंट में रैक/गोदाम/भंडारण केन्द्र से बारदाना गठान अनलोडिंग कर विपणन संघ के निर्धारित गोदाम/जिले के अंदर एवं जिले के बाहर निर्देशित स्थान तक पहुचानें हेतु लोडिंग/अनलोडिंग सहित है।
6. बारदाना गठान रैक से अनलोडिंग, परिवहन एवं जिले के अंदर/बाहर परिवहन हेतु लोड़िग/अनलोडिंग सहित दरें रहेंगी।
7. उपरोक्त दर आपकी निविदा शर्तों की समस्त कंडिकाओं को मान्य करते हुए दी गई है। कार्यादेश प्राप्त होते ही तीव्रता से एच.एण्ड.टी. एवं परिवहन का कार्य कर सकूंगा एवं आवश्यकतानुसार बाहर से भी ट्रकें उपलब्ध कराकर कार्य समय–सीमा में संपन्न कर सकूंगा। यदि कार्य लिखित एवं मौखिक की सूचना मिलने पर समय सीमा के भीतर एच.एण्ड.टी. परिवहन का कार्य नहीं करता हूँ तो संघ नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। रैक अनलोडिंग में लगने डेमरेज/बारफेज की भी मैं स्वतः जवाबदार रहूँगा।
8. रैक अनलोडिंग एवं परिवहन कार्य के संबंध में सभी विवादों और इकरारनामा से वांछित किसी भी शर्तों के संबंध में मतभेद उत्पन्न होने पर प्रकरण प्रबंध संचालक, छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को प्रस्तुत किया जावेगा। प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षकारों को मान्य होगा।

हस्ताक्षर

(निविदाकार)

संलग्न .....

दिनांक.....

स्थान.....

सील

निविदाकार का परिचय, संक्षिप्त विवरण भरकर वित्तीय लिफाफा में डालकर जमा करें

प्रेषक,

..... (परिवहनकर्ता का नाम)
..... (पूर्ण पता)

पासपोर्ट आकार का फोटो यहां चिपकायें

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित,
रायपुर

प्रिय महोदय,

1. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर द्वारा वांछित रेल्वे रैक पर रैक से बारदाना गठान रैक हेंडलिंग (एच.एण्ड.टी.) जिले के अंदर/बाहर परिवहन (अनलोड करने तथा परिवहन करने के कार्य हेतु) प्रकाशित निविदा सूचना को पढ़कर हमने/मैंने जिला कार्यालय में निर्धारित राशि जमा कर निर्धारित फार्म क्रय किया है, हमने/मैंने निविदा के आमंत्रण में दिये गये निर्देशों/निविदा/संविदा शर्तों, नियमों तथा इसके परिशिष्ट में दिये गये विवरण को भली भांति पढ़ लिया है, उनको समझ लिया है तथा हम/मैं उनके पालन के लिए सहमत हैं/हूँ।

2. हम/मैं रैक प्वाइंट से अनलोडिंग एवं परिवहन कार्य के लिये जिले के अंदर एवं जिले के बाहर निर्देशित स्थान तक एच.एण्ड.टी. एवं परिवहन कार्य निम्नानुसार दरों पर कार्य करना स्वीकार करते/करता हूँ।

जिले का नाम .....

परिवहन की दरें (लोडिंग/अनलोडिंग सहित) :–

सेवा कार्य का विवरण			
क्र.	दूरी कि.मी. में	रेल्वे रैक से रेक हेंडलिंग **(H&T)** कर गंतव्य स्थान तक बारदाना परिवहन की दर (लोडिंग/अनलोडिंग) सहित प्रति कि.मी./प्रति गठान	जिले के संग्रहण केन्द्रों/गोदामों से जिले के अंदर एवं जिले के बाहर बारदाना का परिवहन दर प्रति कि.मी. प्रति गठान लोडिंग/अनलोडिंग सहित
1	0 से 8 कि.मी. लोकल परिवहन दर प्रति गठान		
2	0 से 25 प्रति कि.मी. प्रति गठान		
3	0 से 50 प्रति कि.मी. प्रति गठान		
4	0 से 75 प्रति कि.मी. प्रति गठान		
5	0 से 100 प्रति कि.मी. प्रति गठान .		
6	0 से 200 प्रति कि.मी. प्रति गठान		
7	0 से 300 प्रति कि.मी. प्रति गठान .		
8	300 कि.मी. से अधिक दूरी के लिये प्रति गठान प्रति कि.मी.		

उपरोक्त दरों में लोडिंग/अनलोडिंग की राशि ..... रूपये प्रति गठान सम्मिलित है।

निविदाकार के हस्ताक्षर व सील

परिशिष्ठ–4

खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 में जिलेवार रेक प्वाइंट की सूची

क्र.	जिले का नाम	रेक प्वाइंट का नाम
1.	2	3
1	रायपुर	आर.एस.डी.कांपा
		तिल्दा
2	बलौदा बाजार	भाटापारा
3	महासमुंद	महासमुंद
4	दुर्ग	दुर्ग
5	बालोद	बालोद
6	राजनांदगांव	राजनांदगांव
7	बिलासपुर	बिलासपुर
8	जांजगीर	अकलतरा
9	रायगढ़	रायगढ़
10	अम्बिकापुर	विश्रामपुर
11	जगदलपुर	जगदलपुर

परिशिष्ठ– 5

इकरारनामा

यह इकरारनामा दिनांक..... को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की शीर्ष सहकारी संस्था है, जिसका मुख्यालय सिविल लाईन्स, रायपुर में है, जिसे आगे विपणन संघ के नाम से संबोधित किया है, कि ओर से पक्ष 01, जिला विपणन अधिकारी..... अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर तथा पक्ष 02, मेसर्स.....की ओर से श्री/सुश्री..... वल्द..... जिला..... के निवासी है, जिसे की आगे एच.एण्ड.टी. एवं बारदाना परिवहनकर्ता के नाम से संबोधित किया गया है, के बीच निष्पादित किया गया है।

यह कि, एच.एण्ड.टी. एवं बारदाना परिवहनकर्ता द्वारा विपणन संघ के ..... केन्द्र से वर्ष **2012–13** में दिनांक **01.10.2012** से दिनांक **30.09.2013** तक की अवधि को मेसर्स .... जिला विपणन अधिकारी ..... के रैक प्वाइंट में बारदाना गठान रैक अनलोडिंग एवं परिवहन तथा जिले के अंदर एवं जिले के बाहर निर्देशित स्थान तक बारदाना परिवहन हेतु इस इकरारनामा में दर्शायी गयी दरों पर स्वीकार किया गया हैं।

यह कि परिवहनकर्ता द्वारा विपणन संघ के जिले के अंदर एवं जिले के बाहर नियत स्थान तक पहुंचाने का कार्य हेतु निम्नानुसार दर्शायी गयी दरों पर किया जावेगा और मैं/हम यह कार्य विपणन संघ की शर्तों पर करने हेतु पूर्ण सहमत है।

सेवा कार्य का विवरण			
क्र.	दूरी कि.मी. में	रेल्वे रैक से रेक हैंडलिंग (H&T) कर गंतव्य स्थान तक बारदाना परिवहन की दर (लोडिंग/अनलोडिंग) सहित प्रति कि.मी./प्रति गठान	जिले के संग्रहण केन्द्रों/गोदामों से जिले के अंदर एवं जिले के बाहर बारदाना का परिवहन दर प्रति कि.मी. प्रति गठान लोडिंग/अनलोडिंग सहित
1	0 से 8 कि.मी. लोकल परिवहन दर प्रति गठान		
2	0 से 25 प्रति कि.मी. प्रति गठान		
3	0 से 50 प्रति कि.मी. प्रति गठान		
4	0 से 75 प्रति कि.मी. प्रति गठान		
5	0 से 100 प्रति कि.मी. प्रति गठान		
6	0 से 200 प्रति कि.मी. प्रति गठान		
7	0 से 300 प्रति कि.मी. प्रति गठान		
8	300 कि.मी. से अधिक दूरी के लिये प्रति गठान प्रति कि.मी.		

उपरोक्त दरों में लोडिंग/अनलोडिंग की राशि ..... रूपये प्रति गठान सम्मिलित है।

1. इस इकरारनामा के साथ अनुसूचित बैंक ..... (बैंक का नाम) शाखा. ..... से राशि रूपये..... की बैंक गारंटी/एफ.डी.आर. क्रमांक.....दिनांक..... संलग्न है और पक्ष 02 को यह ज्ञात हो कि इस पर कोई ब्याज देय नहीं है।

2. पक्ष 02 को पक्ष 01 के जिला कार्यालय/इकाई या उसके द्वारा अधिकृत कर्मचारी की मौखिक या लिखित सूचना प्राप्त होने पर तत्काल बारदाना गठान का परिवहन कर रेल्वे के निर्धारित समय–सीमा के अंदर रैक अनलोडिंग करनी होगी। इसके आवश्यकता अनुसार ट्रक मजदूर हम्माल की व्यवस्था पक्ष 02 की होगी। परिवहन में हुए विलंब के कारण होने वाले डेमरेज/नुकसान की संपूर्ण जवाबदारी पक्ष 02 की होगी। समय पर ट्रक एवं मजदूर नहीं लगने पर संघ को अधिकार होगा कि, बाजार से, कार्य किसी भी दर पर करा लेवें। यदि स्वीकृत से अधिक दर पर भुगतान करना पड़ता है तो अधिक दर के कारण हुई हानि (क्षति) की भरपाई पक्ष 02 तीन दिवस के अंदर नगद जमा करेगा, अन्यथा विपणन संघ को अधिकार होगा कि वह पक्ष02 के परिवहन बिलों से कटौती करें अथवा उसकीजमा अमानत की राशि से इस राशि को वसूल करें।

3. ट्रक के साथ माल को रैक लोडिंग एवं अनलोडिंग के लिए आवश्यक संख्या में हमालों एवं मजदूरों के प्रावधान (व्यवस्था) करने की जिम्मेदारी पक्ष 02 की होगी, हम्मालों का भुगतान पक्ष 02 द्वारा किया जायेगा। विपणन संघ किसी भी प्रकार का हमाली भुगतान नहीं करेगा। इस लागू श्रम, भविष्य निधि एवं संबंधित अन्य विधियों, नियमों, उपनियमों के पालन का उत्तरदायित्व पक्ष 02 का होगा।

4. **यदि किसी स्थान पर परिवहकर्ता द्वारा लोड़िग एवं अनलोड़िग आदि का भुगतान नहीं किया जाता और विपणन संघ को लोड़िग/अनलोड़िग प्रभार का भुगतान करना पड़ता है तो विपणन संघ द्वारा किये गये भुगतान से तीन गुना अधिक राशि उसके बिल में से काटी जायेगी।**

5. पक्ष 02 द्वारा केवल वही ट्रक बारदाना ढुलाई हेतु लगायें जावेगें जो सही और अच्छी हालत में हो। आर.टी.ओ. से फिटनेस सहित समस्त वैधानिक पूर्ति पक्ष 02 का उत्तरदायित्व होगा। पक्ष 02 का यह उत्तरदायित्व रहेगा कि संघ द्वारा बारदाना उसके ट्रक में लोड (भरा) दिया जाता है, सही व सुरक्षित हालत में गन्तव्य स्थान तक पहुंचाकर रैक लोडिंग/अनलोडिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा।

6. यदि पक्ष 02 के द्वारा उसके मूल ट्रक में परिवहन के लिए लोड किया गया संघ का बारदाना समय के अंदर गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंचाया जाता है या रखा जाता है या सही हालत में नहीं पहुंचता है, अथवा अन्य प्रकार की हानि होती है तो वह हानि पक्ष 02 द्वारा विपणन संघ को तीन दिवस के अंदर देय होगी। विपणन संघ को यह अधिकार होगा कि वह हानि की राशि वसूली अमानत राशि/सुरक्षा निधि की राशि में से अथवा पक्ष 02 के लंबित बिलों से अथवा पक्ष 02 को उक्त हानि की राशि विपणन संघ में जमा करना अनिवार्य होगा। लोडेड ट्रक का इंश्योरेंस कराने की जिम्मेदारी पक्ष 02 की होगी।

7. पक्ष 01 द्वारा पक्ष 02 को प्रदत्त स्कंध पक्ष 01 द्वारा निर्धारित स्थान एवं अधिकृत प्रतिनिधी को ही पक्ष 02 द्वारा देना होगा और सील व हस्ताक्षर सहित अधिकृत पावती लेनी होगी।

8. परिवहन के दौरान किसी भी कमी या क्षति हेतु पक्ष 02 ही उत्तरदायी होगा और उसकी अमानत राशि या देय परिवहन देयकों से यह राशि पक्ष 01 वसूल कर लेगा।

9. ढुलायी के लिए लगाये गये ट्रक सभी प्रकार से मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार सही हालत में होना चाहिए। उसकी बीमा होना चाहिए और ट्रक पब्लिक कैरियर लाईसेन्स होना एवं रोड टैक्स, गुड्स टैक्स, टोल टैक्स इत्यादि पटाये जाने की जिम्मेदारी एच.एण्ड.टी. परिवहनकर्ता की होगी। यदि मोटर व्हीकल एक्ट की परिवहन अथवा मोटर संबंधित किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन होता है तो उक्त के लिए एच.एण्ड.टी. परिवहनकर्ता मालिक एवं ठेकेदार की जिम्मेदार होगा, साथ ही इससे लोड बारदाना की हानि होती है या गन्तव्य स्थान तक पहुंचने में विलंब होता है, तो उसकी जिम्मेदारी एच.एण्ड.टी. परिवहनकर्ता की होगी।

10. पक्ष 02 को परिवहन बिल के प्रति सप्ताह प्रस्तुत करना होगा। बारदाना डिलेव्हरी देने के प्रमाण में जिस केन्द्र से जहां माल भेजा गया हो, वहा पर नियुक्त पक्ष 01 के अभिकर्ता विपणन संघ के अधिकृत गोदाम कीपर हस्ताक्षरित किया गया ही बिल के साथ संलग्न करके देना होगा। एच.एण्ड.टी. परिवहनकर्ता बारदाना गन्तव्य स्थान पहुंचा देने के पश्चात् वहां के अधिकृत गोदाम कीपर या कोई अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर कराकर लावेगा। इस डिलेव्हरी मेमो पर बारदाना सुरक्षित हालत में डिलेव्हरी कर देने का प्रमाण भी अंकित किया जावेगा, यह जिम्मेदारी पक्ष 02 की होगी। भेजने वाले इकाई के द्वारा ही परिवहन बिल का भुगतान किया जावेगा।

11. परिवहनकर्त्ता को रेक प्वाईंट से गन्तव्य स्थान तक का दूरी प्रमाण पत्र लोक निमार्ण विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। तत्पश्चात् ही परिवहन देयक का भुगतान किया जावेगा।

12. एच.एण्ड.टी. एवं बारदाना परिवहनकर्ता को सौंपे गये बारदाना का परिवहन कम दूरी वाले मार्ग से ही करेगा, अत्यावश्यक परिस्थिति में बारदाना का परिवहन अधिक दूरी वाले मार्ग से वह तभी कर सकता है, जबकि इस हेतु उसने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर से लिखित अनुमति प्राप्त कर ली हो।

13. यह इकरारनामा दिनांक 30.09.2013 तक वैध होगा। इस अवधि में कार्य नहीं होता अथवा नये निविदा नहीं होता, तो वर्तमान इकरारनामा की अवधि को पक्ष क्रमांक 1 द्वारा तीन–तीन माह के लिए (अधिकतम एक वर्ष की अवधि) बढ़ाई जा सकेगी।

14. पक्ष 02 द्वारा जो ट्रक परिवहन कार्य में लगाये जावेगें उसकी सूची जिला विपणन अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रेषित करेगा।

15. सभी विवादों और इकरारनामा से वांछित किसी भी शर्तों के संबंध में मतभेद उत्पन्न होने पर प्रकरण प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को प्रस्तुत किया जावेगा। प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षकारों को मान्य होगा।

16. **बारदाना गठान रेक हैण्डलिग एवं परिवहन हेतु निविदा प्रापत्र में दिये गये नियम एवं शर्तों तथा संबंधित दस्तावेज इस अनुबंध के अंग है।**

17. **बारदाना गठान रेक हैण्डलिग एवं परिवहन हेतु समय–समय पर राज्य शासन एवं विपणन संघ द्वारा जारी निर्देश निविदा के भाग माने जायेगे।**

18. मैं (पक्ष क्रमांक 2) इस बात की पुष्टि करता हूं कि हमें/मुझे उक्त दरों के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभार देय नहीं होगा। उपरोक्त दरों में सभी प्रकार के कर एवं अन्य वैधानिक उत्तरदायित्व सम्मिलित है।

उपरोक्तानुसार आज दिनांक ..... को इकरारनामा में हस्ताक्षर किये।

गवाह :–

1. नाम .....
   पता .....
   .....
   हस्ताक्षर .....

पक्ष 01 छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ की ओर से

2. नाम .....
   पता .....
   .....
   हस्ताक्षर .....

पक्ष 02 एच.एण्ड.टी. एवं परिवहनकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील